संख्या: 239 /2024/ 1578 /चार-2024-1694904

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग मैनपावर की सेवाएं प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 96/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2018-19 IV, दिनांक 17 मई, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ संग्रहालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष जेम पोर्टल के माध्यम से पूर्व में चयनित कार्यदायी संस्था से आउटसोर्सिंग मैनपावर एवं पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व सैनिक कार्मिकों की सेवाएं तीन माह (माह अप्रैल, मई व जून 2024) की आवश्यकतानुसार प्राप्त किये जाने पर होने वाले व्यय रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाईयों में रिक्त पदों के सापेक्ष तीन माह (माह अप्रैल, मई व जून 2024) की अवधि में कार्यरत आउटसोर्सिंग मैनपावर एवं पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से पूर्व सैनिक कार्मिकों हेतु ही अनुमन्य होगी।
(2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
(3) वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय -58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 239 /2024/ 1578 (1) /चार-2024-1694904 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।